राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 38/2011/बांसवाड़ा

मैसर्स सुनील टिम्बर एण्ड फर्नीचर, बांसवाड़ा। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती,
उड़नदस्ता, निम्बाहेड़ा। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अंजनी कुमार त्रिवेदी,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :05.07.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **08.09.2010** के विरूद्ध पेश की गयी है जो अपील संख्या 74/वैट/2009–2010/ के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्तीए उड़नदस्ता, निम्बाहेड़ा (जिसे आगे ''सशक्त अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति ₹33,415/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक **17.12.2008 को वाहन संख्या एच.आर–55एफ/7830** को चित्तौड़गढ़–निम्बाहेड़ा रोड पर जांच हेतु रोका गया एवम् वाहन में **''फर्नीचर''** पाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनीत माल के संबंध में दस्तावेज चाहने पर, वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह अवधारित किया कि परिवहनीत माल अधिसूचित वस्तु होने के कारण माल के संलग्न दसतवेजों में घोषणा प्ररूप वैट–47 संलग्न होना बाध्यकारी है जिसके अभाव में सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त को अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर

लगातार.....2

से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपित कर आदेश पारित किया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गयी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर इस संबंध में कथन किया कि आरोपित शास्ति प्रथम दृष्ट्या ही अनुचित एवम् अविधिक है, क्योंकि माल के संलग्न दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट–47 की आवश्यकता नहीं थी, इस संबंध में शासन सचिव वित्त(राजस्व) द्वारा जरिये क्रमांक **एफ.12(15) वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.08** के इस संबंध में निर्देश, राज्य सरकार की ओर से आयुक्त, वाणिज्यिक कर को दिये गये हैं कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने तक ऐसी वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान फार्म–47 एवम् फार्म–49 साथ में नहीं होने पर भी शास्ति आरोपित नहीं की जाये । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से शासन सचिव वित्त (राजस्व) द्वारा जारी उक्त निर्देश, जांच तिथि तक **"वापस"** नहीं लिये गये थे, अतः उक्त निर्देश राजस्व पर "बाध्यकारी" है । फिर भी घोषणा प्ररूप वैट–47 माल संबंधी दस्तावेजों में संलग्न नहीं करने के आधार पर शास्ति आरोपित कर दी गयी है, जो राज्य सरकार के जारी निर्देशों के आलोक में अविधिक एवम् अनुचित है। इस संबंध में कथन किया कि माननीय **कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील संख्या 1345/2009/अलवर निर्णय दिनांक 23.11.2011,** में प्रतिपादित विधि के अनुसार घोषणा प्ररूप वैट–47 की आवश्यकता प्रचलित निर्देशों की अवधि के दौरान नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

5. प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक

लगातार.....3

ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित शास्ति आदेशों का समर्थन कर, कथन किया कि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि **वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप वैट–47 प्रस्तुत करना बाध्यकारी है।** अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज़ **18 टैक्स अपडेट 321** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, कथन किया कि चूंकि विद्वान अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है लिहाजा, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि राज्य सरकार द्वारा संदर्भित निर्देश दिनांक **30.08.2008 जो 20.सी.टी.एन ब–89 (9)** पर प्रकाशित है तथा उक्त निर्देशों में राज्य सरकार द्वारा **जरिये पत्रांक एफ.12(15) वित्त/कर/2008/पार्ट–III दिनांक 27.02.09** के **वापस** लिया गया है, अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, भी राज्य सरकार के उक्त निर्देश, जांच तिथि दिनांक **17.12.2008** को प्रचलन में रहने के कारण, विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्क बलयुक्त है। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित **कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील संख्या 1345/2009/अलवर निर्णय दिनांक 23.11.2011, के प्रकरण में समान बिन्दुओं पर प्रतिपादित विधि** के आलोक में, अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण, पारित अपीलीय आदेश को अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है ।

7. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है ।

8. निर्णय सुनाया गया ।

5.7.2014

(मदन लाल)
सदस्य